न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 1/2011

उनवान

1. अब्दुल अजीज
2. अब्दुल मजीर
3. अब्दुल नसीर
   समस्त पुत्रान श्री मौहम्मद हनीफ जाति मुसलमान निवासी गेगल तहसील व जिला अजमेर

..... अपीलान्ट .....

बनाम

1. श्री मुस्तफा पुत्र अब्दुल रहमान
2. रमजानी पुत्री अब्दुल रहमान
3. अब्दुल गफफार पुत्र अब्दुल रहमान
4. श्रीमति बतुल पुत्री श्री अब्दुल रहमान
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर
5. ग्राम पंचायत गेगल जरिये संरपच
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नामान्तकरण संख्या 663 दिनांक 08.05.2008

आदेश

दिनांक :– 11.12.2019

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गेगल स्थित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 682 रकबा 9–7–0 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 807 रकबा 7–10–0 बीघा एवं 811 रकबा 1–17–0 बीघा के रिकार्डेड खातेदार श्री अब्दुल रहमान, अब्दुल हफीज एवं मौ. हनीफ पुत्रान श्री वजीर मौहम्मद थे । उक्त आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 682 रकबा 2–10–0 बीघा भूमि श्री अब्दुल रहमान द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.4.1968 को अपीलांटस के पूर्वज

Scanned by CamScanner

मौ. हनीफ पुत्र श्री वजीर मौहम्मद को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया तब से श्री मौहम्मद हनीफ एवं उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर बहेसियत खातेदार लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत कोई प्रकरण भी श्री अब्दुल रहमान द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 28.11.1970 को निर्णित हुआ लेकिन श्री अब्दुल रहमान ने वादग्रस्त भूमि में निहित अपना हिस्सा दिनांक 23.4.1968 को ही अपीलांटस के पूर्वज श्री मौहम्मद हनीफ को बेचान कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया तत्पश्चात वजीर मौ. के तीन पुत्र यथा अब्दुल रहमान, अब्दुल हफीज एवं मौ. हनीफ के मध्य आपसी बंटवारा हो गया एवं उक्त बंटवारे में शेष आराजीयात अब्दुल हफीज पुत्र श्री वजीर मौ. के हिस्से में आई जो उसके द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.10.75 के तहत अब्दुल हफीज व नवी बक्ष पुत्रान अब्दुल गफुर खां को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया । उक्त विक्रय पत्र दिनांक 9.10.75 में वादीगण के पूर्वज श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री वजीर मौ. की गवाह के रूप में साक्ष्य बाबत हस्ताक्षर भी अंकित है। जिससे स्पष्ट सिद्व है कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 682 हाल 811 रकबा 1–17–0 बीघा रेस्पो. के पूर्वज श्री अब्दुल रहमान द्वारा अपीलांटस के पूर्वज मौ. हनीफ को दिनांक 23.4.1968 को ही विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान किया जा चुका था, चंकित खसरा नम्बर 682 का कुल रकबा 9–7–0 बीघा था जिसमें से 2–10–0 बीघा भूमि विक्रय की गई थी एवं साबिक खसरा नम्बर 682 के हाल दो खसरा नम्बर यथा 807 व 811 मुर्तिब किये गये जिससे विक्रय शुद्वा आराजीयात का आधा भाग अर्थात 1–5–0 भूमि खसरा नम्बर 807 तथा 1–5–0 बीघा भूमि 811 में निहित हो गई । इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 811 रकबा 1–17–0 बीघा में से 1–5–0 बीघा भूमि अपीलांटस के पूर्वज मौ. हनीफ की जर खरीद खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है एवं विक्रेता श्री अब्दुल रहमान के सहखातेदरो द्वारा अपसी बंटवारे में उक्त विक्रय शुद्वा ढाई बीघा भूमि विवादित आराजीयात के अतिरक्त को अन्य सह खातेदारो के हिस्से में रखा गया । जिससे वादग्रस्त भूमि में श्री अब्दुल रहमान का कोई हिस्सा शेष नही रहा तथा ना ही अब्दुल रहमान अथवा उसके वारिसान का दिनांक 23.4.1968 के बाद साबिक खसरा नम्बर 682 की आराजीयात के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नही रहा । उक्त तथ्य की पुष्टि स्वयं रेस्पो. द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद उनवानी जहूरी बनाम हमीदन वगेरह के पैरा संख्या 6 में अंकित कथनो से होती है जिसके अनुसार यह कि प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत एवं अवैध रूप से खसरा नम्बर 811 एवं 807 पर अतिक्रमण कर लिया है उसका कब्जा भी प्राप्त करने का अधिकार वादीगण को है इसलिए वादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र विवादित आराजीयात के कब्जे हेतु प्रस्तुत है जिससे स्पष्ट सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. का कब्जा नही होने बाबत कथन स्वयं रेस्पो. स्वीकार कर चुके है एवं वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 682 में रेस्पो. के पूर्वज श्री अब्दुल रहमान के हिस्से की 2–10–0 बीघा स्वयं श्री अब्दुल रहमान द्वारा

Scanned by CamScanner

अपीलांटस के पूर्वज मौ. हनीफ को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.4.68 को विक्रय की जा चुकी है इसके बावजूद विद्वान ग्राम पंचायत ने समस्त तथ्यों की जांच किये बिना एवं बिना कब्जे के ही तथा पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.4.68 को नजर अंदाज कर दिनांक 8.5.2008 को अपीलांटस के नाम पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही कर श्री अब्दुल रहमान के वारिसान के नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 663 तस्दीक कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार ुरमाई जाकर विद्वान ग्राम पंचायत गेगल द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 663 दिनांक 8.5.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्टगण को ओर से श्री अशोक कुमार माथुर अधिवक्ता उपस्थित आये ।

रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र विरासत का ही नामांतकरण किया गया है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत वारिसान का जजरा तस्दीक करते हुए अब्दुल रहमान के वारिसो का विरासत में नामांतकरण किया गया है। नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है। साथ ही वादग्रस्त आराजीयात के सबंध में एक राजस्व वाद जहुरी व अन्य बनाम हमीदन व अन्य न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर में वाद विचाराधीन होना व सिविल न्यायालय में भी विक्रय पत्र के निरस्तीकरण हेतु वाद लम्बित है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावे।

दिनांक 14.3.2011 को अपील मियाद स्वीकार की गई।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य प्रकट हुए कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अभिवचन जहुरी बनाम हमीदन वगेरह राजस्व वाद 120/2009 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) महोदय अजमेर में प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन है। साथ ही श्रीमान् सिविल जज (क.ख) अजमेर में दीवानी दावा संख्या 35/2010 दर्ज होकर विचाराधीन है । साथ ही प्रस्तुत अपील नामान्तकरण के विरूद्व होकर समरी कार्यवाही है जिसके माध्यम से पक्षकारो के हक अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन, भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.13 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: